न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सख्या 100/2023

सरकार जरिये उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर

— प्रार्थी

बनाम

नवरतन गौतम पुत्र श्री नरेन्द्र नाथ निवासी 4/149 घरोदा योजना, सेक्टर 03 जे.पी. नगर मदार, अजमेर ।

— अप्रार्थी

उपस्थितः—

1. श्री अब्दुल सादिक, प्रर्वतन अधिकारी
2. श्री शंकर गुर्जर अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अन्तर्गत धारा 6 ए

—:आदेशः—

दिनांक 17.07.2023

प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मदार में थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा गैस सिलेण्डर सबंधित कार्यवाही की गई है, क्योंकि समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक एवं रसद अधिकारी हडताल पर होने के कारण सबंधित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु जाना पडेगा। इस सबंध में गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग को रोकने के तहत उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ 4/149 घरोदा योजना, सेक्टर 03 जे.पी. नगर, मदार अजमेर जॉच हेतु पहुॅची। मौके पर अलवर गेट थाना, अजमेर श्री श्याम सिंह कांस्टेबल व श्री जयपाल (ए. एस.आई) उपस्थित थे, एवं जांच कार्य करवाया गया। वक्त मौके पर नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ उपस्थित पाए गए, जिसके द्वारा जांच करवाने पर पाया गया कि एक कमरा जिसका लोहे का गेट खुलवाने पर एक सिलेण्डर रिफिलिंग रिफिलिंग मशीन में लगा हुआ पाया तथा 06 सिलेण्डर (घरेलू) कोने में तथा पीछे की तरफ एक सिलेण्डर (घरेलू) कुल 09 घरेलू सिलेण्डर (01 एच.पी. तथा भारत कम्पनी के) पीछे तिरपाल का कमरा जिसमें 17 भरे हुए एवं 03 खाली (कमर्शियल) गैस सिलेण्डर पाये गये तथा पास में स्थित बाथरूम में 04 खाली गैस सिलेण्डर रखे हुए पाए गए। मकान पर गैस सिलेण्डरो का गैस रिफिलिंग एवं अवैध भण्डारण तथा अवैध व्यवसाय करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 4, 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 मय 361.7 किग्रा एव.एल.पी.जी. पांच गैस रिफिलिंग मशीने, दो इलेक्ट्रोनिक कांटे एवं टूटी कैप मिलना अवहेलना होने के कारण 13 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं 20 व्यवसायिक सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत उक्त सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया गया कि मदार में थानाधिकारी अलवर गेट द्वारा गैस सिलेण्डर सबंधित कार्यवाही की गई है, क्योंकि समस्त प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक एवं रसद अधिकारी हडताल पर होने के कारण सबंधित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु जाना पडेगा। इस सबंध में गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग को रोकने के तहत उर्मिला सेहर, प्रवर्तन निरीक्षक नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ 4/149 घरोदा योजना, सेक्टर 03 जे.पी. नगर, मदार अजमेर जॉच हेतु पहुॅची। मौके पर अलवर गेट थाना, अजमेर श्री श्याम सिंह कांस्टेबल व श्री जयपाल (ए. एस.आई) उपस्थित थे, एवं जांच कार्य करवाया गया। वक्त मौके पर नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ उपस्थित पाए गए, जिसके द्वारा जांच करवाने पर पाया गया कि एक कमरा जिसका लोहे का गेट खुलवाने पर एक सिलेण्डर रिफिलिंग रिफिलिग मशीन में लगा हुआ पाया तथा 06 सिलेण्डर (घरेलू) कोने में तथा पीछे की तरफ एक सिलेण्डर (घरेलू) कुल 09 घरेलू सिलेण्डर (01 एच.पी. तथा भारत कम्पनी के) पीछे तिरपाल का कमरा जिसमें 17 भरे हुए एवं 03 खाली (कमर्शियल) गैस सिलेण्डर पाये गये तथा पास में स्थित बाथरूम में 04 खाली गैस सिलेण्डर रखे हुए पाए गए। वक्त जॉच मौके पर प्रथम दृष्टया देखने पर बडी संख्या में अलग-अलग कम्पनियों के गैस सिलेण्डर भण्डारण करना, सिलेण्डरो की टूटी सीलें बिखरी पडी होना पॉच रिफिलिंग मशीने पाए जाने से अवैध रिफलिंग एवं अवैध गैस व्यवसाय की पुष्टि हुई। गैस सिलेण्डरो के साथ गैस रिफिलिंग की 05 मशीने, 02 इलेक्ट्रिक वज़न कांटे टूटी कैप सील पाई गई। वक्त जांच श्री नवरतन गौतम से पूछताछ पर बताया कि उक्त मकान स्वयं का है तथा गैस एजेसियों से भरे हुए सिलेण्डर लेकर अवैध रूप से गाडी में रिफिलिंग करने का काम करता है । ये भरे हुए सिलेण्डर गैस एजेन्सियों द्वारा ब्लेक में बिना रसीद बिल या वाउचर के नकद लिये जाते है। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में श्री नवरतन गौतम के पास कोई बिल वाउचर, उपभोक्ता डायरी नहीं पाई गई एव ना ही गैस सिलेण्डर भण्डारण व्यवसाय का कोई अनुमति/अनुज्ञा पत्र होना पाया गया। वक्त जांच श्री नवरतन गौतम के मकान के बाहर मारूति इको वाहन संख्या आर.जे.01. सी.डी. 9611 खडी पाई गई जो घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों एवं व्यवसायिक सिलेण्डरो से रिफिलिंग में काम आती है। मकान पर गैस सिलेण्डरो का गैस रिफिलिंग एवं अवैध भण्डारण तथा अवैध व्यवसाय करना पाया गया । अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 4, 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 मय 361.7 किग्रा एव.एल.पी.जी. पांच गैस रिफिलिंग मशीने, दो इलेक्ट्रोनिक कांटे एवं टूटी कैप की अवहेलना होने के कारण 13 घरेलू एल.पी. जी सिलेण्डर एवं 20 व्यवसायिक सिलेण्ड़र को राजहित में जब्त किया गया । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत को राजसात करने के आदेश फरमावे। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	0049983	Bharat	19.3	19.770	0
2	31968	Bharat	19.2	19.630	0
3	31968	Bharat	19.4	19.370	0
4	1374	Bharat	19.3	37.835	18.5

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

5	003742	Bharat	19.2	38.100	18.9
6	023879	Pure Gas	19.6	40.400	20.8
7	024067	Pure Gas	19.8	41.00	21.2
8	014591	Pure Gas	19.3	40.800	21.5
9	015417	Pure Gas	20.0	40.700	20.7
10	006119	Pure Gas	20.1	40.800	20.7
11	024263	Pure Gas	19.9	40.800	20.6
12	016568	Pure Gas	19.8	40.500	20.7
13	015350	Pure Gas	20.1	40.900	20.8
14	016358	Pure Gas	19.8	40.500	20.7
15	0010421	Pure Gas	20.0	41.200	21.2
16	010420	Pure Gas	20.3	39.900	19.6
17	013123	Pure Gas	20.1	40.565	20.4
18	015325	Pure Gas	19.7	40.700	21.0
19	34541	Pure Gas	20.1	40.800	20.7
20	013463	Pure Gas	19.3	40.300	21.0
21	896328	Indane	15.8	15.460	0
22	223773	Indane	15.3	15.295	0

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

23	402368	Indane	15.7	15.385	0
24	134139	Indane	16.0	15.920	0
25	464987	Hp	15.7	15.660	0
26	137894	Bharat	15.8	15.760	0
27	541644	Bharat	15.8	16.120	0.32
28	97654	Bharat	15.8	16.235	0.435
29	775559	Bharat	15.4	16.150	0.75
30	74178	Bharat	15.6	15.750	0.15
31	654745	Bharat	16.0	16.155	0.155
32	352417	Bharat	15.7	16.00	0.3
33	962155	Bharat	15.8	26.480	10.68

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में बताई गई सम्पूर्ण कार्यवाही गलत व मिथ्या तथ्यों पर होने से अस्वीकार है दिनांक 24.04.2023 को पुलिस थाना अलवरगेट अजमेर के पुलिस वाले मुझ प्रार्थी के पास आये तथा मुझ प्रार्थी के गेराज के बाहर खडी किसी अन्य व्यक्ति की गाडी को जब्त कर अपने साथ ले गये तथा बाद में मुझ प्रार्थी के घरेलू सिलेण्डर जो कि खाली पडे थे जिनमें 02 खाली सिलेण्डर भारत कम्पनी के जो कि मुझ प्रार्थी नवरतन गौतम के द्वारा अमरदीप गैस एजेन्सी पता शॉप नं0 03, 04, 05 व 06 पथरिया पौल्ट्री फार्म के पास गहलोतो की डूगरी अजमेर से खरीद किये गये थे जिनका उपीोक्ता कमांक 64962957 है एवं 02 खाली सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के जो मेरी माता श्रीमति सुशीला गौतम पत्नी स्व0 नरेन्द्र एन. गौतम के द्वारा जरिये कार्ड क0सं0 एचपीसीएल 422721 हरेन्द्र गैस सर्विस ए 53 यू.आई.टी कॉलोनी नाका मदार, अजमेर से खरीद किये गये थे तथा 01 खाली सिलेण्डर भारत कम्पनी का जो कि मेरी नाथा प्रथा अनुसार विवाहित पत्नि श्रीमति दुर्गा के द्वारा जिन्दल गैस एजेन्सी माधव द्वार आदर्श नगर, अजमेर से खरीद किया जिसका उपभोक्ता कमांक 96595942 है उक्त सिलेण्डर भरवाने के लिये मेरे पास खाली पड़े थे। मैं प्रार्थी मैकेंनिक तथा हलवाई का कार्य भी करता हूॅ तथा शादी समारोह में खाना आदि बनाने के कार्य भी लेता हूॅ इस बाबत मैने एजेन्सीज गैस एल.पी.जी प्रा. लि0 के सीनीय डीलर अग्रवाल गैस केयर ऑफ अग्रवाल मोटर कम्पनी जयपुर रोड अजमेर से पंजीकरण संख्या ए.जी. 652 दिनांक 08.10.2016 को 08 कॉर्मसियल सिलेण्डर कय किये थे तथा इसी प्रकार 07 कॉर्मसियल सिलेण्डर पंजीकरण

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

संख्या ए.जी 699 दिनांक 28.10.2016 अग्रवाल गैस केयर ऑफ अग्रवाल मोटर कम्पनी जयपुर रोड अजमेर से कय किये थे। जिन्हे मैने अपने साले श्री बनवारी की शादी दिनांक 02.05.2023 के लिये नियत वैवाहिक कार्यकम दिनांक 26.04.2023 से 03.05.2023 के लिये भरवाकर रखे थे। उपरोक्त प्रकार से पुलिस वाले आकर ले गये तथा बाद में मुझ प्रार्थी को झूठे केस में फसाने की बात कही। मेरे खिलाफ झूठी कार्यवाही की गई है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध गैस रिफिलिंग या अवैध भण्डारण या व्यवसाय नहीं किया जाता है। मेरे द्वारा उपरोक्त मेरे घरेलू तथा खरीदशुदा सिलेण्डर के अलावा अन्य कोई वस्तु नही मिली। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानो का किसी प्रकार से उल्लघंन नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का उक्त जवाब स्वीकार कर अप्रार्थी व उसके परिजनो के स्वामित्व के जब्त दर्शाये गये सिलेण्डर निर्मुक्त कर दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त मौके पर श्री नवरतन गौतम पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ उपस्थित पाए गए, जिसके द्वारा जांच करवाने पर पाया गया कि एक कमरा जिसका लोहे का गेट खुलवाने पर एक सिलेण्डर रिफिलिंग मशीन में लगा हुआ पाया तथा 06 सिलेण्डर (घरेलू) कोने में तथा पीछे की तरफ एक सिलेण्डर (घरेलू) कुल 09 घरेलू सिलेण्डर (01 एच.पी. तथा भारत कम्पनी के) पीछे तिरपाल का कमरा जिसमें 17 भरे हुए एवं 03 खाली (कमर्शियल) गैस सिलेण्डर पाये गये तथा पास में स्थित बाथरूम में 04 खाली गैस सिलेण्डर रखे हुए पाए गए। वक्त जॉच मौके पर प्रथम दृष्टया बडी संख्या में अलग-अलग कम्पनियों के गैस सिलेण्डर भण्डारण करना, सिलेण्डरो की टूटी सीलें बिखरी पड़ी होना पॉच रिफिलिंग मशीने पाए जाने से अवैध रिफलिंग एवं अवैध गैस व्यवसाय की पुष्टि हुई। गैस सिलेण्डरो के साथ गैस रिफिलिंग की 05 मशीने, 02 इलेक्ट्रिक वजन कांटे टूटी कैप सील पाई गई। वरवक्त जांच श्री नवरतन गौतम से पूछताछ पर बताया कि उक्त मकान स्वयं का है तथा गैस एजेसियों से भरे हुए सिलेण्डर लेकर अवैध रूप से गाडी में रिफिलिंग करने का काम करता है। ये भरे हुए सिलेण्डर गैस एजेन्सियों द्वारा ब्लैक में बिना रसीद बिल या वाउचर के नकद लिये जाते है। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में श्री नवरतन गौतम के पास कोई बिल वाउचर, उपभोक्ता डायरी नही पाई गई एव ना ही गैस सिलेण्डर भण्डारण व्यवसाय का कोई अनुमति/अनुज्ञा पत्र होना पाया गया। वक्त जांच श्री नवरतन गौतम के मकान के बाहर मारूति इको वाहन संख्या आर.जे. 01. सी.डी. 9611 खडी पाई गई जो घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों एवं व्यावसायिक सिलेण्डरो से रिफिलिंग में काम आती है। मकान पर गैस सिलेण्डरो का गैस रिफिलिंग एवं अवैध भण्डारण तथा अवैध व्यवसाय करना पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 4, 6 एवं गैस सिलेण्डर रूल्स 2016 मय 361.7 किग्रा एवं. एल.पी.जी. पांच गैस रिफिलिंग मशीने, दो इलेक्ट्रोनिक कांटे एवं टूटी कैप की अवहेलना होने के कारण 13 घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर एवं 20 व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.07.2023 को बाद हस्ताक्षर के सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर,
अजमेर